वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्)

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव खंड ऋषभदेव

क्रमांक :– 1637 दिनांक :– 20-8-18

ई–निविदा सूचना संख्या 5/2018–19

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस कार्यालय क्षेत्राधीन राज्य में स्थित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर के मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्यो के लिये पंजीकृत संवेदको से जो कि राजस्थान सरकार के 'एए' 'ए' 'बी' सी एवं डी श्रेणी के पंजीकृत संवेदको के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट www.devasthan. rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in तथा htpp://sppp. rajasthan. gov. in पर देखा जा सकता है।

निविदा का कार्य	1 कार्य राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर श्री सिद्वि विनायक गणपति जी, बांसवाड़ा जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य
निविदा की कुल लागत	25.00 लाख
कुल धरोहर राशि	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत
ऑन लाईन निविदा फार्म मिलने की दिनांक व समय	दिनांक 21.08.2018 सायं 4.00 बजे से दिनांक 10.09.2018 प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा फार्म जमा कराने की तारीख (वेबसाईट पर)	दिनांक 21.08.2018 सायं 4.00 बजे से दिनांक 10.09.2018 प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/एम.डी. आर. आई.एस.एल. शुल्क डी.डी जमा कराने की दिनांक व समय	दिनांक 10.09.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव
निविदा खोलने की तारीख	दिनांक 10.09.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि	एम.डी. आर.आई. एस.एल. शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर श्री सिद्वि विनायक गणपति जी, बांसवाड़ा जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य	25.00	50,000/–	500/–	500/–	6 माह

निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा के इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराऐं।

निविदा हेतु पात्र संवेदको की श्रेणी

किसी भी सीमा तक	– एए श्रेणी संवेदक
रूपये 300 लाख तक	– ए श्रेणी संवेदक
रूपये 150 लाख तक	– बी श्रेणी संवेदक
रूपये 50 लाख तक	– सी श्रेणी संवेदक
रूपये 15 लाख तक	– डी श्रेणी संवेदक

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी, जो नियमानुसार <u>सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव</u> के नाम देय होगी।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 21.08.2018 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 10.09.2018 प्रातः 11.00 बजे तक होगी।

3.अ. निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में बेवसाईट http://eproc. rajasthan.gov.in पर दिनांक 21.08.2018 सायं 4.00 बजे से दिनांक 10.09.2018 प्रातः 11 बजे तक जमा कराये जा सकते है एवं प्राप्त निविदायें, इलेक्ट्रानिक फॉरमेट में बेवसाईट http://eproc. rajasthan.gov.in पर सहायक आयुक्त कार्यालय में दिनांक 10.09.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जाएगी।

ब. निविदा जमा करवाने के बाद निविदो की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।

स. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाऐं नही खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाऐं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

4. कार्य करने हेतु कार्यस्थल उपलब्ध है।
5. कार्यो के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 21.08.2018 सायं 4.00 बजे से दिनांक 10.09.2018 प्रातः 11.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यो की मात्रा एवं दरो का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा निविदा प्रपत्रों में वर्णित किसी प्रकार के रूप में शुल्क इस कार्यालय में दिनांक 10.09.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है। निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट <u>सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव</u> के कार्यालय में जमा करानी होगी।
7. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता हे तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

8. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंध व उनके पति/पत्नि) कार्य से से संबंधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक आयुक्त/सहायक अभियन्ता का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

9. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेंगे। यदि संवेदक व उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहा सेवाऐं लेने से पहले अनुमति नही ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

10. निविदादाता इन प्रपत्रों को (Download) कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संबंधित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।

11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.ड्ब्ल्यु ए–100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।

12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिए निर्धारित मशीनरी जो निविदा कि स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।

13. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (1) एफडी/जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19–2011) के अनुसार 500/– रूपये की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी, जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक **मैनेजिंग डोयरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर** में भुगतान योग्य होना चाहिये।

14. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित हे।

ई–टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–

अ– इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (Download) कर सकते है।

ब– निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

स– निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नही होगे। उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नही होगा।

द– ऑन लाईन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या– 3 अ के अनुसार खोली जायेगी।

य– इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों के जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।

र– कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिक जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा।

ल– टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

15. वैधयता अवधि का सेलटैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

16. वर्तमान में प्रचलित बाजार दर से दर विश्लेषण करने पर कुल राशि में जो अन्तर (नीचे दर) आयेगा वो (अनबेलेन्स राशि) संवेदक को जमा कराना होगा।

(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

क्रमांक :– 1641 दिनांक :– 20-8-18

प्रतिलिपि :– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान–उदयपुर।
2. सहायक अभियन्ता मु0, देवस्थान विभाग, राजस्थान–उदयपुर।
3. निरीक्षक, देवस्थान विभाग, बांसवाड़ा/ऋषभदेव।
4. कम्प्युटर शाखा प्रभारी, प्रधान कार्यालय, उदयपुर पास निविदा सूचना का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
5. नोटिस बोर्ड जिला कलेक्ट्री कार्यालय, बांसवाड़ा।
6. नोटिस बोर्ड अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाड़ा/उदयपुर।
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव